महत्वपूर्ण एवं खास

व्यवसायिक परीक्षा मंडल की पीएटी एवं पीवीपीटी की परीक्षा सम्पन्न

जिले के 08 स्कूल एवं कॉलेज बनाये गए थे परीक्षा केंद्र

रायगढ़। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा 09 जून 2024 को एक पाली में प्रातः 09.00 से दोपहर 12.15 बजे तक पीएटी एवं पीवीपीटी की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें राज्य के 32 जिलों के साथ-साथ रायगढ़ जिले के अंतर्गत 08 परीक्षा केंद्र बनाये गये थे। जिले के नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय नटवर अंग्रेजी माध्यम स्कूल, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्रधर नगर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जूट मिल, शासकीय हाई स्कूल केवड़ाबाड़ी, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी महाविद्यालय एवं शासकीय कॉमर्स कॉलेज रायगढ़ को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। उपरोक्त दोनो भर्ती परीक्षाओ में जिले के 08 परीक्षा केंद्रों में कुल 1661 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 760 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 901 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। उपरोक्त परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ महेश शर्मा को नोडल अधिकारी एवं भुवनेश्वर पटेल, एपीसी, समग्र शिक्षा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया था।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत सरकार ने असाधारण क्षमताओं वाले बच्चों को उचित प्रोत्साहन देने हेतु उनके द्वारा बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा और विज्ञान व प्राद्यौगिकी, पर्यावरण, कला व संस्कृति व नवाचार के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करने के आनलाईन आवेदन करने की 31 जुलाई 2024 तक आमंत्रित किया है। इसका मुख्य और सूत्रधार विभाग महिला एवं बाल विकास है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 26 दिसम्बर को भारत शासन द्वारा बाल वीर दिवस घोषित किया जाता है। जिसके अंतर्गत 25 या न्यूनाधिक विजेता बच्चों को मेडल व प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु उक्त क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों का आनलाईन वेबसाइट https://www.award.gov.in अर्वाड्स डॉट जीओवी डॉट इन पर 31 जुलाई 2024 तक आवेदन किया जाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आवेदन करने हेतु पात्रता निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत आवेदक बालक को भारतीय नागरिक व भारत का निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा संबंधित वर्ष के 31 जुलाई तक बालक की आयु 05 से 18 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके साथ ही बालक के असाधारण उत्कृष्ट कार्य, घटना, उपलब्धि आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 से विगत 02 वर्ष के अंतर्गत होना अनिवार्य है।

पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन प्रस्ताव 20 अगस्त तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाईन नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित की गई है। जिले के योग्य एवं पात्र व्यक्तियों से पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 20 अगस्त 2024 तक आमंत्रित की गई है। ऑनलाईन नामांकन व सिफारिश की क्रमवार प्रक्रिया पोर्टल https://awards.gov.in पर बताई गई है। पद्म पुरस्कारों से संबंधित विधान एवं नियमावली वेबसाईट https://padmaawards.gov.in पर उपलब्ध है।

शाला प्रवेश उत्सव की तैयारी के लिए बीईओ चौहान ने ली प्राचार्यो की बैठक

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर सहित कलेक्टर धर्मेश साहू और जिला शिक्षा अधिकारी एस एन भगत के मंशा अनुरूप शाला प्रवेश उत्सव 18 जून से लेकर के 30 जून 2024 तक मनाया जायेगा। इसी के संबंध में नरेश कुमार चौहान बीईओ ने बरमकेला ब्लॉक के सभी प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य के साथ बैठक किया। बैठक में प्रमुख विषय "शाला प्रवेशोत्सव" था। बीईओ चौहान ने कहा कि सभी प्राचार्य 18 जून के पूर्व बच्चों को पाठ्यपुस्तकों-गणवेश का वितरण, शत्-प्रतिशत् सुनिश्चित करें। साथ ही भवनों का रंग रोगन एवं मरम्मत करा लिया जाये। शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाये जाने हेतु हर संभव कार्यवाही किया जाए। जर्जर भवन की जानकारी जिला अधिकारियो को भेजने हेतु प्रस्तुत करें। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश व सायकल,शाला प्रवेश उत्सव के दिन के लिए आवश्यक सामग्री और तैयारी समस्त विद्यालयों में किया जाए।

छत्तीसगढ़ में विभागों में किराया की गाड़ियों पर लगी रोक, वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में गाड़ी किराया पर लेने पर रोक लगा दी गई है। वित्त विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन की पुस्तिका में वाहन किराये पर लेने संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। अपवाद स्वरूप वित्त विभाग की सहमति से ही वाहन विशेष उद्देश्य व निर्धारित अवधि के लिए किराया पर लिया जा सकता है।

वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों/ निगम/मंडल/ अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा किराया का वाहन उपयोग में लिया जा रहा है तथा उक्त वाहनों के किरायें की दरों में एकरूपता नहीं है। अत: एकरूपता की दृष्टि से परिशिष्ट-अ अनुसार वाहनों / समतुल्य वाहनों के किराया हेतु दर तथा परिशिष्ट-ब अनुसार किराये की शर्त निर्धारित किया जाता है। किराये के वाहन की दरें राज्य मद से किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के साथ केन्द्र पोषित अथवा अन्य मदो से वित्त पोषित योजनाओं के तहत किराये पर भी लिये जाने वाले वाहनों पर समान रूप से लागू होगें।

वाहन किराया पर लेने के लिए वित्त विभाग की अनुमति के साथ इन शर्तो का करना होगा पालन 1. किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। इन वाहनों के पंजीयन संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि अनिवार्यत: ली जाये।

2. वाहन के समस्त दस्तावेज जीवित बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) तथा फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। बीमा संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि जमा किया जाये।

3. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा। 4. किराये की अवधि में वाहन आबंटित अधिकारी के आधिपत्य में रहेगा तथा फर्म के द्वारा अपने निजी प्रयोजन अथवा कार्यालय से हटकर अन्य कार्य हेतु वाहन का उपयोग किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से वाहन हटा दिया जावेगा। 5. वाहन की मरम्मत, रख-रखाव, दुर्घटना दावा एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। 6. उपयोग के दौरान वाहन के खराब होने की स्थिति में समतुल्य वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा। वाहन तत्काल उपलब्ध न कराये जाने पर उक्त दिवस की राशि कटौती की जाएगी। यदि कार्यालय द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाती है, तो व्यय पूर्ति की जवाबदारी फर्म की होगी।

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के विरुद्ध एनएसयूआई ने किया डीईओ आफिस का घेराव

रायपुर । आरएनएस

रायपुर के ग़ैर मान्यता वाले स्कूलों को नियमानुसार मान्यता देने या बंद करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने काली पट्टी बांध कर शुक्रवार को ज़िला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया।

प्रदेश प्रभारी हेमंत पाल और प्रदेश सचिव कुणाल दुबे ने आरोप लगाया कि राजधानी में गली मोहल्ले में केपीएस के अनेक गैर मान्यता स्कूल चलाया जा रहा है। एनएसयूआई लगातार इसकी सूचना कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को देता रहा है पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कारवाई नहीं किया जाता है, जिसको लेकर एनएसयूआई ने काली पट्टी बांध कर डीआईओ कार्यालय का घेराव किया है।

नियमानुसार छत्तीसगढ़ अशासकीय स्कूल विनिमयन अधिनियम 1975. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त किए बिना रकूल का संचालन किया जा रहा है। इन स्कूलों में फीस नियामक अधिनियम 2020 का भी पालन नहीं किया जा रहा है। अगर नये सत्र में स्कूल खुलने तक ऐसे गैर मान्यता स्कूलों को मान्यता नहीं मिला तो एनएसयूआई ऐसे स्कूलों पर तालाबंदी करेगी। प्रदर्शन में प्रदेश सचिव कुणाल दुबे मोनू तिवारी, वाइस चेयरमैन पुनेश्वर लहरे, जिला सचिव गावेश साहू विधानसभा उपाध्यक्ष विकाश पांडे, मनीष बांधे, तनिष्क मिश्रा अंकित बंजारे, आदि मौजूद थे।

रायपुर में मॉब लिंचिंग और दो लोगों की मौत... एसएसपी ने आरोपियों को पकड़ने बनाई विशेष टीम

- डीएसपी, सीएसपी सहित 14 सदस्य शामिल

रायपुर । आरएनएस

राजधानी के आरंग थाना क्षेत्र के महानदी पुल के उपर हुये मॉब लिंचिंग और दो लोगों की मौत मामले में रायपुर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है। टीम में क्राइम डीएसपी संजय सिंह, सीएसपी माना लंबोदर पटेल, थाना प्रभारी आंरग सत्येंद्र श्याम, थाना प्रभारी मंदिर हसौद सचिन सिंह, सायबर सेल प्रभारी परेश पाण्डेय सहित 14 सदस्य शामिल है।

दरअसल, घटना आरंग थाना क्षेत्र गुरूवार-शुक्रवार की देर रात की है। बताया जा रहा है कि पशुओं से भरी एक ट्रक सीजी 07 सीजी 3929 महासमुंद की ओर से रायपुर की तरफ आ रही थी। इसी दौरान तस्करी की सूचना पर महासमुंद की ओर से ही दर्जन भर युवक ट्रक का पीछा करते हुए आ रहे थे। युवकों ने ट्रक को आरंग के महानदी पुल के उपर रूकवाया। ट्रक के अंदर बैठे चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम खान को बाहर निकालकर आरोपियों ने मारपीट करना शुरू कर दिया।

मारपीट के दौरान नदी से फेंकने का आरोप घायल एक युवक का वीडियो भी सामने आया है। अस्पताल में भर्ती युवक कह रहा है कि करीब 12 युवक थे, जिन्होंने मारपीट की। मारपीट के बाद चांद और गुड्डू को आरोपियों ने नदी से फेंक दिया।

रायपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

रायपुर पुलिस ने बीते 26 मई को छत्तीसगढ़ के दो कारोबारियों की हत्या की प्लानिंग को विफल करते हुए लारेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के गिरफ्तार चार शूटरों को गिरफ्तार किया था.

इस मामले में अब तक कई खुलासे हो चुके है. इस बीच रायपुर पुलिस ने इन शूटरों को हथियार सप्लाई करने वाले एक अंतरराज्यीय तस्कर को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है. रायपुर पुलिस क्राइम एएसपी संदीप मित्तल ने पूरे मामले का खुलासा किया है.

जानकरी के मुताबिक, पुलिस के हत्थे चढ़े 4 शूटर्स में से एक रोहित स्वर्णकार से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के सेंधवा में एक शख्स से पिस्टल खरीदी थी. जिसके बाद रोहित की निशानदेही पर एंटी क्राईम एंड साईबर यूनिट की टीम ने हथियार तस्कर का लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के रहने वाले राजवीर सिंह चावला (उम्र 21) पिता रमेश सिंह चावला के रूप में आरोपी की पहचान हुई. जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की एक विशेष टीम ने स्थानीय बड़वानी पुलिस की सहायता से राजवीर सिंह चावला को धर दबोचा और रायपुर ले आई.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी राजवीर सिंह चावला ने अवैध रूप से पिस्टल बनाने और उसकी खरीदी-बिक्री का कार्य करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजवीर सिंह चावला उसकी बनाई पिस्टल की बिक्री के लिए मोन्टू सिंह नाम से अपनी फर्जी फेसबुक आई.डी. का प्रयोग करता था. आरोपी पिस्टल बनाकर उसकी तस्वीर अपनी फेसबुक आई.डी. में अपलोड करता था. हथियार खरीदने वाले उसकी आई.डी. में डली पिस्टल की फोटो को देखकर उससे फेसबुक के माध्यम से संपर्क करते थे. जिसके बाद व्हॉट्सएप कॉलिंग के माध्यम से पिस्टल की खरीदी-बिक्री की जाती थी। अवैध हथियार के खरीदी बिक्री के लिए व्हॉट्सएप कॉलिंग के लिये आरोपी 2 विदेशी व्हॉट्सएप नंबर अजरबाईजान (+994) एवं पुर्तगाल (+351) का उपयोग करता था.

मयंक सिंह ने रोहित को पिस्टल देने कहा था

हथियार तस्कर राजवीर सिंह चावला ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पूर्व मयंक सिंह ने उसके फेसबुक आई.डी. के जरिए उससे संपर्क किया था. मयंक ने उसे कहा था कि कुछ दिनों बाद तुमसे रोहित नाम का शख्स आकर मिलेगा तुम उसे पिस्टल दे देना। कुछ दिन बाद जब रोहित ने उसे आकर पैसे दिए तो उसने उसे पिस्टल दे दी।

रक्त वाहिका में अल्कोहल इंजेक्ट कर नियंत्रित हार्ट अटैक कर बचाई मरीज की जान : अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन का राज्य का अनोखा केस

- अब तक हार्ट अटैक को बीमारी माना जाता था, नियंत्रित कृत्रिम हार्ट अटैक को इलाज का जरिया बनाने का अनोखा केस
- कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया उपचार

रायपुर । आरएनएस

डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) में हाइपर ट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की बीमारी से ग्रस्त, 32 वर्षीय युवक को अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन प्रक्रिया कर नई ज़िंदगी दी गई। कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुए इस इंटरवेंशनल उपचार प्रक्रिया में मरीज की हृदय की नसों में शुद्ध अल्कोहल की कुछ मात्रा को इंजेक्ट कर दिल में कृत्रिम लेकिन नियंत्रित हार्ट अटैक किया गया।

डॉ. स्मित श्रीवास्तव के अनुसार, हाइपर ट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक वंशानुगत स्थिति है जिसमें दिल की मांसपेशी असामान्य रूप से मोटी हो जाती है। दिल की मांसपेशी मोटी हो जाने की वजह से दिल के लिए खून पंप करना कठिन हो जाता है। आमतौर पर इस रोग का पता चल नहीं पाता। ऐसी स्थिति वाले ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं होते। कुछ लोगों को सांस फूलना, सीने में दर्द या दिल की असामान्य धडक़न जैसी समस्याएं हो सकती है।

अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन क्या है?

अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन हाइपर ट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के इलाज के लिए एक नॉन-सर्जिकल प्रक्रिया है। अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन कैथेटर के सहारे की जाने वाली प्रक्रिया है। कैथेटर के सिरे पर एक गुब्बारा होता है। तकनीक कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के समान है जिसमें फ्लोरोस्कोपिक (एक्स-रे) और इकोकार्डियोग्राफिक (अल्ट्रासाउंड) मार्गदर्शन के तहत धमनी में शुद्ध अल्कोहल की एक छोटी मात्रा को डाला जाता है। अल्कोहल दिल की कुछ मांसपेशियों की कोशिकाओं को सिकोड़ देता है जिससे दिल से होकर शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। प्रोसीजर के बाद बलून को शरीर से बाहर निकाल देते हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाई में पुलिस ने 18 वाहनों का काटा 65,000 रुपए का चालान

- वाहन चेकिंग दौरान शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए 14 वाहन चालक समेत 34 वाहन चालकों पर की गई मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाई
- अभियान : स्पीड बाइकर्स और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की सघन जांच के लिए पुलिस ने चलाया अभियान

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने अभियान स्तर पर पुलिस की जांच कार्यवाही जारी है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत माल वाहक वाहनों पर सवारी परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई जारी है, इसी कड़ी में कल स्पीड बाइकर्स और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच कर कार्रवाई किया गया। शहर में नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला तथा ट्रैफिक डीएसपी रमेश चन्द्रा थानों व यातायात पुलिस के साथ देर शाम तक अलग-अलग स्थानों पर वाहन चेकिंग किया गया। कार्रवाई दौरान पुलिस की जांच में 34 दुपहिया/भारी वाहन के चालक रडार में आये, जिनमें 14 व्यक्ति ब्रीथ एनालाइजर के परीक्षण पर शराब सेवन किये पाये गए जिनके विरूद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत इस्तगासा तैयार किया गया है तथा 18 अन्य वाहन चालकों पर एमवी एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई कर रु.65,000 का समन शुल्क की वसूली की गई है। पुलिस की वाहन जांच कार्यवाही नियमित रूप से जारी रहेगी / विदित हो कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना दो हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है।

रेत के अवैध परिवहन कर रहे 3 ट्रेक्टर को खनिज टीम ने किया जब्त

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश और खनि अधिकारी हीरादास भारद्वाज मार्गदर्शन में खनिज जांच टीम ने सारंगढ़ क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेत के अवैध परिवहन में शामिल 03 ट्रैक्टर को जप्त कर थाना सरसीवा के सुपुर्दगी में दिया गया। आगे की कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवम् ख़ान एवं खनिज विकास आधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत किया जाएगा। साथ ही खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की कार्यवाही आगे भी निरंतर कलेक्टर साहू के निर्देश पर किया जाएगा। खनिज टीम में दीपक पटेल, अनुराग नंद लक्ष्मी नारायण घृतलहरे शामिल थे।

मुख्यमंत्री साय के कार्यों की खुशी : कलाकारों ने गाकर बयां किया "हमन छत्तीसगढ़ के रहवासी, खुशी रहे बारोमासी"

- नृत्य और गीत से उमड़ी कलाकारों की खुशी

सारंगढ़ बिलाईगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास कार्य तेजी से प्रगति पर हैं, जिससे प्रदेश के जनमानस में अद्भुत खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने परिवार के रूप में संबल दिया है, जिससे हर तरफ खुशहाली का माहौल है।

प्रदेश के बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के मैदानी इलाकों सहित जशपुर के सभी सुदूर वनांचलों में भी सरकार के कार्यों का लाभ पहुंच चुकी है। इस खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए स्थानीय कलाकारों ने अपने पारंपरिक गीत और नृत्य के माध्यम से उत्सव का माहौल बना दिया है।

कलाकारों ने अपने प्रस्तुतियों में मुख्यमंत्री साय के प्रयासों और उनके कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है। इस सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर को और अधिक सशक्त किया है।

मुख्यमंत्री साय ने भी कलाकारों की इस पहल की सराहना की है और कहा है कि कला और संस्कृति के माध्यम से विकास की कहानियों को जन-जन तक पहुंचाना वास्तव में एक प्रशंसनीय प्रयास है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480